



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



क्रमांक. एचआरएम-1/ए-11(1)/2025/अकेआ/679

दिनांक: 25.06.2025

कार्यालय आदेश

विषय: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13ए में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति के संबंध में।

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद पर पदोन्नति के लिए 12.02.2025 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिशों पर, माननीय अध्यक्ष, सीबीटी-ईपीएफ निम्नलिखित अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (तदर्थ) की पैनल वर्ष 2025 के लिए नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13ए में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद पर, नियुक्ति को मंजूरी देते हैं

क्र.सं.	नाम	ईआईडी
1.	पूर्णदु भूषण वर्मा	पीएस131171111100299

2. अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान तैनाती स्थल पर यथावत कार्यरत रहेंगे। नियमित पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी रुकावट के नियमित नियुक्ति की जाती है, विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य है, तथा इसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक महीने के भीतर किया जाना है।

4. अधिकारी की वरिष्ठता, क.भ.नि स्टाफ(वरिष्ठता निर्धारण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार, अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।

5. उपर्युक्त अधिकारी की अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, संबंधित नियंत्रण कार्यालय द्वारा एचआरएम, मुख्यालय को rc1.hrm@epfindia.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

(केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)

सेवा में,
संबंधित अधिकारी।

प्रतिलिपि: (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष, सीबीटी, ईपीएफ के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार के प्रधान निजी सचिव।
3. केंद्रीय भ.नि. आयुक्त के निजी सचिव।
4. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी/सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव ।
5. सभी अपर कें.भ.नि.आयुक्त , मुख्यालय एवं अंचल/मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र), मुख्यालय/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त(एनडीसी)।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल/ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
9. महासचिव, क.भ.नि अधिकारी संघ, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)